न्यायलय न्यायिक मजिस्ट्रेट कायमगंज फर्रूखाबाद

वाद स०:-३७२/१६

०८/११/१६

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली वास्ते आदेश नियत हैं। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता तलवी पर सुना गया ।

सक्षेप मे परिवादी द्वारा परिवादी पत्र मे कथन किया है कि परिवादी दिनांक २५/०३/१६ को समय ६बजे शाम बाला सहाय,विजनेश,हरिचन्द्र,भीमसेन परिवादी को कायमगंज से पुरोरी जाते समय ईदगाह के पास मिले और मिलते ही परिवादी को गालिया देने लगें जब मना किया तो उक्त लोगो ने परिवादी को पकड कर मारा पीटा तथा कपडे फाड दिये और परिवादी की उपरी जेब मे रखे १२४०/- रूपये जो जेब फटने से गिर गये थे को चुरा लिया मार पीट मे परिवादी के शरीर पर चोटे आयी शोर गुल पर सुरज पाल लज्जाराम ब्रजेश कुमार आदि आगये जिन्होने घटना देखी व वचाया जाते समय जान माल की धमकी देकर चले गयें। परिवादी घटना की रिपोर्ट थाने लिखने गया तो उसकी रिपोर्ट नही लिखी गई तब पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया फिर भी कोई कार्यवाही नही हुई तब यह वाद दायर किया । अतः अभियुक्तगण को तलब कर दण्डित करने की याचना की ।

परिवाद के समर्थन मे पी०डब्लू०१ लज्जाराम पी०डब्लू०२ ब्रजेश कुमार पी०डब्लू० ३ विनोद के वयान अर्न्तगत धारा २०२ द०प्र०स० अंकित कराये गये

परिवादी ने अपने कथन मे पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र की कार्बन प्रति व डाक रशीद तथा चोट आख्या की कार्बन प्रति दाखिल किये गये हैं।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

परिवादी ने अपने वयान अर्न्तगत धारा २०० द०प्र०स मे कथन कि परिवादी दिनांक २५/०३/१६ को समय ६बजे शाम बाला सहाय,विजनेश,हरिचन्द्र,भीमसेन परिवादी को कायमगंज से पुरोरी जाते समय ईदगाह के पास मिले और मिलते ही परिवादी को गालिया देने लगें जब मना किया तो उक्त लोगो ने परिवादी को पकड कर मारा पीटा तथा कपडे फाड दिये और परिवादी की उपरी जेब मे रखे १२४०/- रूपये जो जेब फटने से गिर गये थे को चुरा लिया मार पीट मे परिवादी के शरीर पर चोटे आयी शोर गुल पर सुरज पाल लज्जाराम ब्रजेश कुमार आदि आगये जिन्होने घटना देखी व वचाया जाते समय जान माल की धमकी देकर चले गयें। मेरे बडी चोटे आयी थी मेडिकल कराया था। थाने मे शिकायत करने भी गया था।

साक्षीगण पी०डब्लू०१ पी०डब्लू०२ ने अपने वयानो मे परिवाद का समर्थन किया हैं।

पत्राबली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण बाला सहाय,विजनेश,हरिश्चन्द्र,भीमसेन को धारा ३२३,३७९,५०४,५०६,भा०द०स० के अर्न्तगत परिभाषित अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया पाया जाता हैं। विपक्षीगण के विरूद्व धारा ४२७ भा०द०स० का प्रथम दृष्टया अपराध कारित किया जाना नही पाया जाता हैं। अतः अभियुक्तगण को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

अभियुक्तगण बाला सहाय,विजनेश,हरिश्चन्द्र,भीमसेन को धारा ३२३,३७९,५०४,५०६,भा०द०स० के अर्न्तगत जरिये समन दिनांक २५/११/१६ के लिये तलब किया जाता हैं। परिवादी गवाहान लिस्ट दाखिल कर आवश्यक पैरवी अन्दर सात दिन में करे ।

जे० एम० कायमगंज